आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर

दिनांक : 18.04.2024 समय : 0705

<><><><>

- लोकसभा की एक सौ दो सीटों के लिए कल सत्रह राज्यों और अंडमान निकोबार द्वीपसमूह सहित चार केंद्रशासित प्रदेशो में मतदान होगा–मतदान सुबह सात बजे से लेकर शाम छह बजे तक होगा।
- मतदान को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए है–वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए निःशुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध रहेगी।
- द्वीपों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी बी एस जगलान ने कल चुनावपूर्व तैयारियों की समीक्षा की।
- बाहरी क्षेत्रों से आए राजनीतिक दलों के सदस्यों, स्टार कैम्पेनरों को द्वीपसमूह के निर्वाचन क्षेत्र छोड़कर तुरंत जाने को कहा गया है।
- कल सुबह सात बजे से लेकर एक जून की शाम साढ़े छह बजे तक एक्जिट पोल पर प्रतिबंध लगाया गया है।

<><><><><><><>

लोकसभा की एक सौ दो सीटों के लिए कल सत्रह राज्यों और अंडमान निकोबार द्वीपसमूह सहित चार केंद्रशासित प्रदेशो में मतदान होगा। इसके लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। अंडमान निकोबार द्वीपसमूह की एकमात्र लोकसभा सीट के लिए द्वीपसमूह में कुल चार सौ बारह मतदान केन्द्र बनाए गए हैं। मतदान सुबह सात बजे आरंभ होगा और शाम छह बजे सम्पन्न हो जाएगा। मतदान की समाप्ति के समय तक पंक्ति में खड़े सभी मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने का अवसर मिलेगा। मतदान को देखते हुए द्वीपसमूह में सुरक्षा के भी व्यापक प्रबंध किए गए है। मतदान केन्द्र के आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के और कड़े प्रबन्ध किए गए हैं। वृद्धजन और दिव्यांगजन मतदाताओं की सुविधा के लिए भी विशेष प्रबन्ध किए गए है। द्वीपसमूह में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतीपूर्ण मतदान कराने के लिए सभी प्रकार की तैयारियां की गई है।

इस बीच, कल होने वाले मतदान के लिए चुनाव प्रचार अभियान कल सम्पन्न हो गया। द्वीपों के निर्वाचन अधिकारी अर्जुन शर्मा ने कहा कि चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ

कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सुचारू मतदान के लिए ई वी एम पर प्रशिक्षण दिया गया है और मतदान के दिन अगर ई वी एम में गड़बड़ी होती है तो इसके लिए ई.सी.आई.एल के अभियंता तैयार रहेंगे, जिनकी ड्यूटी सेक्टर अधिकारियों के साथ लगाई गई है।

ज़िला नियंत्रण कक्ष और निर्वाचन अधिकारी के नियंत्रण कक्ष का नम्बर साझा किया गया है, ताकि परेशानी होने पर उसे तुरंत सुलझाया जा सके।

श्री अर्जुन शर्मा ने कहा कि मतदान के दिन जिले में वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों को निशुल्क परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि वे मतदान कर सके। ऐसे सभी पात्र मतदाताओं से टोलफ्री नम्बर एक नौ पांच शून्य पर अपने नाम दर्ज कराने को कहा गया है। ऐसे मतदाता अनुरोध भेजने के लिए मोबाइल ऐप सक्षम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिला प्रशासन इन मतदाताओं के लिए आने–जाने के वास्ते निशुल्क परिवहन की व्यवस्था करेगा। जिन मतदाताओं ने डाक मतपत्र के जरिए अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, उन्हें दोबारा मतदान करने की अनुमति नहीं हैं क्योंकि उनके नाम मतदाता सूची में अंकित हो चुके है।

उधर, पोर्ट ब्लेयर, फरारगंज तहसील के लिए मतदान सामग्रियों का वितरण आज किया जा रहा है। इसे देखते हुए सामग्रियों के वितरण कार्य की समाप्ति तक इस क्षेत्र के आसपास वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया गया है। नेताजी स्टेडियम से वितरण का कार्य किया जा रहा है। वाहनों की सुविधा के लिए वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की गई है।

<><><><><><><>

द्वीपों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी बी एस जगलान ने कल द्वीपों में चुनाव की अंतिम तैयारियों की समीक्षा की। बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों से द्वीपों में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतीपूर्ण मतदान कराने के लिए आपसी समन्वय और पूरी उर्जा के साथ काम करने का अनुरोध किया। उन्होंने उप–निर्वाचन अधिकारियों, सहायक आयुक्तों और सहायक निर्वाचन अधिकारियों से त्रुटिमुक्त मतदान कराने के लिए विशेष प्रयास करने को कहा। उन्होंने चुनाव सम्पन्न कराने के लिए सभी माध्यमों का उचित उपयोग करने और दिशा–निर्देशों का पालन करने को भी कहा। मतदान के दिन मतदान केन्द्रों से हर दो घंटे में मतदान रिपोर्ट भेजने को भी कहा ताकि इसे भारतीय चुनाव आयोग को भेजा जा सके।

इस बीच, कल होने वाले मतदान के लिए मतदाताओं को मतदान केन्द्र पर अपने फोटो पहचान पत्र दिखाकर मतदान करने की सुविधा दी गई है। इसके अलावा जो लोग फोटोयुक्त पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते है वे मतदान के लिए वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज़ प्रस्तुत कर सकते हैं। इनमें आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैक या डाक कार्यालय की ओर से जारी फोटोयुक्त पासबुक, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एन.पी.आर के तहत आर.जी.आई की ओर से जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज़, केन्द्र, राज्य सरकारों, सार्वजनिक उपक्रम के कर्मचारियों को इन संस्थाओं की ओर से जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, यूडीआईडी कार्ड शामिल है।

<><><><><><><>

द्वीपसमूह में आगामी चुनाव और चुनाव प्रचार की अवधि समाप्त होने के बाद बाहरी क्षेत्रों से आए सभी स्टार कैम्पेनरों, राजनीतिक दलों के सदस्यों, कार्यकर्ताओं, शोभा यात्रा में शामिल लोगों और प्रचार अभियानों में शामिल लोगों को अंडमान निकोबार ससंदीय निर्वाचन क्षेत्र में बने रहने की अनुमति नहीं है। चुनाव एजेंटों को छोड़कर ऐसे सभी लोग जो मतदाता नहीं है, उन्हें तुरंत द्वीपसमूह की निर्वाचन क्षेत्र को छोड़कर जाने को कहा गया है। जिला मजिस्ट्रेट अर्जुन शर्मा ने धारा एक सौ चवालीस के तहत ऐसे सभी राजनीतिक कार्यकर्ताओं को निर्वाचन क्षेत्र छोड़कर जाने को कहा है वरना उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

<><><><><><><>

अंडमान निकोबार द्वीपसमूह में कल होने वाले मतदान के लिए इस बार तीन लाख पन्द्रह हजार एक सौ अड़तालीस मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल हैं। इनमें एक लाख चौंसठ हजार बारह पुरूष और एक लाख इक्यावन हजार एक सौ बत्तीस महिला मतदाता हैं। चार ट्रांसजेन्डर भी हैं। दक्षिण अंडमान जिले मे ंसबसे अधिक दो लाख दस हजार एक सौ उनतालीस मतदाता हैं। इनमें पुरूषों की संख्या एक लाख नौ हजार आठ सौ अस्सी और महिलाओं की संख्या एक लाख दो सौ छप्पन है। जिले में तीन ट्रांसजेन्डर मतदाता है। मध्योत्तर अंडमान जिले में कुल उन्यासी हजार एक सौ अस्सी मतदाताओं में इकतालीस हजार एक सौ तैंतीस पुरूष, अड़तीस हजार चार सौ चवालीस महिलाएं और एक ट्रांसजेन्डर मतदाता हैं। निकोबार जिले में कुल मतदाताओं की संख्या पच्चीस हजार चार सौ इक्कतीस है। इनमे ंबारह हजार नौ सौ निन्यानब्बे पुरूष और बारह हजार चार सौ बत्तीस महिलाएं है।

<><><><><><><>

भारतीय चुनाव आयोग की ओर से कल सुबह सात बजे से लेकर एक जून संध्या साढ़े छः बजे तक एक्ज़िट पोल पर प्रतिबंध लगाया गया है। आयोग की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि इस दौरान एक्ज़िट पोल के बारे में किसी भी प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इसका प्रसारण या प्रचार नहीं होना चाहिए। अंडमान निकोबार द्वीपसमूह के सभी मतदाताओं से इस संबंध में सतर्क रहने को कहा गया है।

<><><><><><><>

उन्नीस अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए भारतीय चुनाव आयोग की ओर से वाहनों की आवाजाही और मतदान केन्द्र तथा उम्मीदवारों के चुनावी बूथ के नजदीक चुनावी प्रचार–प्रसार पर प्रतिबंध लगाया गया है। मतदान के दिन उम्मीदवार को अपने निर्वाचन क्षेत्र में खुद के इस्तेमाल के लिए एक वाहन की अनुमति प्रदान की गई है। चुनावी एजेंट के लिए एक वाहन के इस्तेमाल को अनुमति दी गई है। मतदान के दिन संबंधित वाहनों को मिली अनुमति को वाहनों के विंड स्क्रीन पर प्रमुखता से प्रदर्शित करना होगा। अवैध रूप से मतदाताओं की सुविधा के लिए वाहनों का उपयोग पूरी तरह से वर्जित है और इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ड्राइवर सहित एक वाहन में पांच लोगों से अधिक को बैठाने की अनुमति नहीं है। निजी वाहन मालिक जो खुद या अपने परिवार के साथ मतदान के लिए जाते हैं तो उन्हें मतदान केन्द्र के दो सौ मीटर तक की परिधि तक ही वाहन ले जाने की अनुमति होगी। मतदान केन्द्र के सौ मीटर की परिधि में मतदान के लिए प्रचार या मतदाताओं को मतदान करने से रोकने या चुनाव से जुड़े किसी भी तरह के प्रचार–प्रसार पर भी प्रतिबंध रहेगा। उम्मीदवारों को अपने चुनावी बूथ मतदान केन्द्र से दो सौ मीटर की दूरी पर स्थापित करना होगा और एक टेबल तथा दो कुर्सी का इस्तेमाल किया जा सकता है। द्वीपसमूह में उन्नीस अप्रैल को सुबह सात बजे से लेकर शाम छः बजे तक मतदान होगा।

<><><><><><><>